राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)(667/88)/अलेसे –III/ 4992-95 दिनांक :– 06/08/2014

कोषाधिकारी,
बीकानेर।

विषय :– श्री राजेन्द्र कुमार आसोपा, क0 लेखाकार का निलम्बन से बहाली के पश्चात् वेतन निर्धारण बाबत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि श्री राजेन्द्र कुमार आसोपा, क0 लेखाकार को विभागीय समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 9299–9305 दिनांक 15.11.2002 द्वारा अपराध संख्या 359/02 में तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था। शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में श्री आसोपा को निलम्बन से बहाल करते हुए विभागीय आदेश संख्या 524–540 दिनांक 26.04.2012 से उपकोष फतेहगढ़ जैसलमेर में पदस्थापित किया गया था श्री आसोपा द्वारा उपकोष फतेहगढ़ जैसलमेर में दिनांक 06.07.2012 को कार्यग्रहण किया गया।

अतः श्री राजेन्द्र कुमार आसोपा, क0 लेखाकार का निलम्बन से बहाली के पश्चात् राजस्थान सिविल (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में इनकी निलम्बन तिथि 15.11.2002 से पूर्व प्राप्त मूल वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण नियमानुसार किया जावे। श्री आसोपा को चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ फिलहाल देय नही होगा। इस सम्बंध में न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांक एफ.4(ई)(667/88)/अलेसे –III/ 4992-95 दिनांक :– 06/08/2014

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. श्री राजेन्द्र कुमार आसोपा, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय, बीकानेर को उनके पत्र दिनांक 2.7.14 के क्रम में।
2. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु) लिंग नम्बर 4855
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)